आर टी आई स्पीड पोस्ट
अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप–राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/58/2013-14 5 फरवरी, 2013

श्री शिव कपूर सिन्हा
अतिरिक्त निदेशक विज्ञापन/ जनसूचना
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
पटना

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री हरिश जालान किला हाउस सिटी पटना 800008 का पत्र दिनांक 29 जनवरी 2013 का दिनांक 2 फरवरी 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होने रूपये 10/- का पो.आ. संख्या 15एफ 155049 संलग्न कर अपने दिनांक 9 अक्तूबर 2010 के आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है जो कि दिनांक 15 मार्च 2010 को मुख्य सचिव बिहार को अग्रसारित किया गया था। इन्होंने अपने मकान के मरम्मत हेतु दिए गए आवेदन के संदर्भ में कार्यवाही की जानकारी चाही है । अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुए आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-
श्री हरिश जालान, किला हाउस सिटी, पटना 800008
कृपया विस्तृत जानकारी हेतु उक्त जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रपत्र 'क'

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई.डी. सं. ....

(कार्यालय प्रयोग के लिये)

Vice President's Secretariat
78
2/2/13
New Delhi

सेवा में,

श्री अब्दुल हामिद अंसारी

महामहिम उपराष्ट्रपति,

नई दिल्ली।

(संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने हेतु)

1. आवेदक का नाम : हरीश जालान, अधिवक्ता
2. पूरा पता : किला हाऊस, पटना सिटी, पटना-800 008
3. मांगी गई सूचना का ब्यौरा :

माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक-11.01.2011 को **C.W.J.C. No. - 17196/2010** में बिहार सरकार एवं बिहार सरकार के वरीय पदाधिकारियों को श्रीमान् मुख्य सचिव, बिहार के माध्यम से आदेश दिया है कि श्रीमान् नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के कार्यशैली पर निगरानी रखें तथा जरूरत पड़ने पर कानुन सम्मत कारवाई करने का आदेश श्रीमान् नगर आयुक्त, पटना को समय-समय पर दें। इतना हीं नहीं इस आदेश में न्यायालय ने तत्कालीन नगर आयुक्त, पटना को पद का दुरूपयोग करने तथा गैरकानुनी गतिविधियों के लिए तत्कालीन नगर आयुक्त, पटना को तत्काल पद से हटाने का आदेश भी बिहार सरकार को दिया है।

बिहार म्यूनिसिपल एक्ट की धारा - 67 एवं 68 के तहत भी यह प्रावधान है कि सरकार को प्राप्त आवेदन/सूचना/शपथ-पत्र के आलोक में सरकार द्वारा श्रीमान् नगर आयुक्त, पटना को कानुन सम्मत आदेश निर्गत किया जाएगा तथा उस आदेश का पालन करना श्रीमान् नगर आयुक्त, पटना की कानुनन बाध्यता है। **कृपया सूचना उपलब्ध कराएँ कि आवेदक द्वारा दिनांक 28.01.2013 को दिए गए आवेदन के आलोक में श्रीमान् नगर आयुक्त, पटना को क्या आदेश निर्गत किया गया है? (आवेदन की प्रति संलग्न)।**

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत मुक्त नहीं है, यह आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित है।
5. मैं 10.00 (दस) रूपया का पोस्टल ऑर्डर इस आवेदन के साथ फीस के रूप में संलग्न कर रहा हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

Hareesh Jalan

स्थान - पटना।

दिनांक -29.01.2013